BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,

NEW DELHI

O.A. NO. 399 OF 2022

IN THE MATTER OF

Ram Ekbal Rai. **…….APPLICANT**

VERSUS

The State of Bihar &ors.. **…. RESPONDENTS**

INDEX

Sl no.	Annexure	Particulars	Page no.
1		**Factual and action taken report.**	1 - 9
2.	Annexure-1.	A copy of the amendment dated 20.04.2002	10 - 12
3.	Annexure-2	A copy of the sealing report dated 28.12.2022.	13
4.	Annexure-3	A copy of Minutes of Meeting dated 26.09.2019	14 - 19
5.	Annexure-3/1	A copy of notice published in news paper.	20
6.	Annexure-4	A copy of Minutes of Meeting held on dated 26.12.2022	21 - 22

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,

NEW DELHI

O.A. NO. 399 OF 2022

IN THE MATTER OF

Ram Ekbal Rai. …….APPLICANT

VERSUS

The State of Bihar &ors.. …. RESPONDENTS

REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO: 1, 2, 3 & 5.

I, Ashutosh, aged about 58 years, Son of Late Gurucharan Lal, residing at House No: 01, Riding Road, Sheikhpura, Patna do hereby solemnly affirm and state as follows: -

1. That I am Respondent No.3 and at present posted as Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Government of Bihar, and as such I am well aware of the facts and circumstances of the present matter. I am competent and duly authorized to swear the present affidavit.

2. That the instant matter has been registered as an Original Application on a letter petition filed by one Mr. Ram Ekbal Rai before this Hon'ble

Tribunal alleging therein that in Villages of Motipur block of District Muzzafarpur hundreds of Veener Mills, Saw Mills and boiler-based Plywood factories are operational due to which pollution is caused.

3. That the instant matter was heard on 08.07.2022 when the Hon'ble Tribunal was pleased to constitute a joint committee comprising of Principal Chief Conservator of Forest, Government of Bihar, State PCB, and District Magistrate, Muzzafarpur, to undertake site visit and look into the grievances of the applicant and verify the factual position and file a factual and action taken report. The State PCB was made nodal agency for coordination and compliance.

4. That the joint committee visited the site and carried on inspection from 10.08.2022 to 16.08.2022 and based on the findings of the inspection the Joint committee prepared a report which was filed before the Hon'ble Tribunal by respondent no. 04 on 26.09.2022. The inspection report dated 16.08.2022 was annexed to the report dated 26.09.2022.

5. That on 13.10.2022 when the matter was last heard the Hon'ble Tribunal in view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, considered it appropriate to have response of (1) State of Bihar through Chief Secretary, Government of

Bihar, (2) Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar, (3) Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Bihar, (4) State PCB, (5) Director General of Police, Bihar, and (6) District Magistrate, Muzaffarpur, and accordingly impleaded them as respondents and directed to file a reply.

6. That it is humbly submitted that in State of Bihar Saw Mills are regulated under the Bihar Saw Mill Regulation Act, 1990 (hereinafter referred to as 'Act of 1990'). The preamble of the Act of 1990 reads as: "*An Act to make provision for regulating in the public interest the establishment and operation of Saw Mills and Saw Pits and trade of sawing for the protection and conservation of forest and the environment.*"

   Saw mill have been defined under Section 2 (g) of the Act of 1990 as: *"saw mill means the plant and machinery with which and the premises including the precincts thereof in which or in any part of which sawing is carried on with the aid of electrical or mechanical power. it shall also include veener plywood manufacturing unit."*

   The Veener plywood manufacturing unit has been included in definition of saw mills by amendment in year 2002 in Bihar Saw Mills (Regulation) Act, 1990.

A copy of amendment notification dated 20.04.2002 is annexed as Annexure 1.

7. That from the above reproduced definition, it can be seen that a very wide definition has been given to saw mill and it includes the plant and machinery and the premises in which sawing is carried. Therefore, any premises (be it house campus/ small shed area/ backyard of house) in which sawing is done with help of plant and machinery is a saw mill as per the Act of 1990.

8. That Section 5 read with Section 1 (3) of the Act of 1990 provides that from 1st May, 1990, no person shall establish a saw mill or a saw pit except under the authority and subject to the conditions of a license granted in that behalf under the Act of 1990. Further, the saw mill existing on 1st May, 1990, also ought to obtain license under the Act of 1990 for operating the existing saw mills. However, in case of Veneer and Plywood Industries this provision is applicable after the date of amendment in the year 2002.

9. That pursuant to order passed by the Hon'ble Tribunal dated 08.07.2022, the Joint committee carried inspection from 10.08.2022 to

16.08.2022 and inspected around 158 Saw Mills, 166 Peeling Mill & 51 Plywood Mill.

Out of the 158 Saw Mills inspected, 8 have obtained license under the Act of 1990 and as such these 8 saw mills were being operated legally. The remaining 150 saw mills were being operated illegally without obtaining a license under the Act of 1990 and as such all these 150 saw mills have been seized by sealing as per the provisions of the Act of 1990 and also prosecution have been launched against such 150 saw mills.

With respect to 166 peeling mills, it is stated that 7 peeling mills were being operated with a valid license under the Act of 1990. The remaining 159 peeling mills were being operated illegally without a valid license and as such the said 159 peeling mills have been seized by sealing and prosecution have also been launched/will be launched against the said 159 peeling mills.

With respect to Plywood mills it is stated that, out of 51 plywood mills inspected, 3 were operating under a valid licence issued under the Act of 1990; 14 units are plywood pasting units which have been exempted from obtaining licence under the Act of 1990 vide decision taken by the State Level Committee on 26.09.2019 and the remaining 34 plywood mills were operating without a valid licence and as such 34 plywood

mills have been seized by sealing and prosecution have also been launched/will be launched against the said 34 plywood units.

A copy of the action taken report dated 28.12.2022 is annexed and marked as Annexure-2.

10. That regarding the exempted 14 plywood mills it is submitted and stated that the State Level Committee, constituted under order dated 05.10.2015 of Hon'ble Supreme Court in WP (c) no. 202/95, had in its meeting held on 26.09.2019 taken decision to keep the Plywood Pasting units established before the order dated 29.10.2002 of Hon'ble Supreme Court in WP (c) no. 202/95 and operating without any facility for veneer and sawn timber production exempt from ambit of obtaining license under Bihar Saw Mills (Regulation) Act, 1990. A notice in this regard was also published in news paper by State Government. Taking the said decision into consideration action has not been initiated against the 14 plywood mills.

A copy of minutes of meeting dated 26.09.2019 and notice published in news paper are annexed as annexure 3 and 3/1.

11. That in view of above it is humbly submitted that action under the Act of 1990 has been taken against all the saw mills which were

being operated illegally without obtaining a licence. Such units have been seized by sealing under Section 8 of the Act of 1990.

12. That a meeting was also held under the Chairmanship of the Chief Secretary, Bihar, on 26.12.2022 to monitor the action taken against the saw mills. In the said meeting, the District Magistrate, Muzzafarpur, informed that the units were seized by sealing. Further, he also informed that steps were being taken to ensure that the unit does not come in operation again, i.e. a sign board has been installed with a direction to not come in operation and also loudspeaker announcement were being made for not coming in operation without obtaining a valid license and other necessary statutory clearances.

A copy of the minutes of the meeting held on 26.12.2022 is annexed and marked as Annexure-4.

13. That in view of above stated facts, it is humbly submitted that appropriate action as provided under the Act of 1990 has been taken against the erring saw mills operating in Motipur Block of Tirhut Forest Division, Muzzafarpur, with the District Administration, Muzzafarpur, has taken necessary steps to ensure that such units do

not come in operation without obtaining licence and statutory clearances.

14. I have gone through the contents of the report and understood the same and the annexure is true copy of its original.

DEPONENT

not come in operation without obtaining licence and statutory clearances.

14. I have gone through the contents of the report and understood the same and the annexure is true copy of its original.

02/01/2023
DEPONENT

Annexure - 1

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 वैशाख 1924 (श०)

(सं० पटना, 168) पटना, सोमवार, 22 अप्रील 2002

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

20 अप्रील, 2002

संख्या-एल०जी० 1-016/2001/लेज: 130/:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल 18 अप्रील, 2002 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:—

[बिहार अधिनियम, 4, 2002]

बिहार काष्ठ-चिरान (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2002

बिहार काष्ठ-चिरान (विनियमन) अधिनियम 1990 का संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ:—

(1) यह अधिनियम बिहार काष्ठ-चिरान (विनियमन) (संशोधन), अधिनियम 2002 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार काष्ठ-चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 की धारा-2 का संशोधन। उक्त अधिनियम की धारा-2 (छ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जायेगी।

2 (छ) "आरा मिल" से अभिप्रेत है ऐसा संयंत्र और मशीनरी जिससे, और ऐसा परिसर, जिसमें उसकी परिसीमाएं भी सम्मिलित हैं, जिसमें या जिसके किसी भाग में काष्ठ की चिराई विद्युत या यांत्रिक शक्ति की सहायता से की जाती है। विनियर एवं प्लाईवुड विनिर्माण यूनिट भी ऐसे आरा मिल की परिभाषा के अन्तर्गत आयेंगे।

---

20 अप्रील, 2002

संख्या-एल०जी० 1-016/2001/लेज: 131:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 18 अप्रील, 2002 को अनुमत बिहार काष्ठ-चिरान (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2002 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खंड (३) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[Bihar Act 4, 2002]

THE BIHAR SAW MILL (REGULATION) (AMENDMENT) BILL, 2002

AN
ACT

TO AMEND THE BIHAR SAW MILL (REGULATION) ACT, 1990.

Be it enacted by the Legislature of the State Bihar in the Fifty Third Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title, extent and commencement.*—

(1) This Act may be called The Bihar Mills (Regulation)

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment of section-2 of the Bihar Saw (Regulation) Act, 1990.*—Section 2 (G) of the above Act shall be substituted by the following:—

"2(G) "Saw Mill" means the plant machinery with which and the premises including the precincts there of in which or in any part which sawing is carried with the aid of electrical mechanical power. It shall also include veneer plywood manufacturing unit".

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद,
सचिव, विधि विभाग, बिहार।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण). 168 लाईनो + डी०टी०पी० — 571+390

Annexure - 2

तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

सारांश

मिल का प्रकार	निरीक्षित इकाई की संख्या (दिनांक 10.08.2022–16.08.2022 तक किये गये निरीक्षण के अनुरूप विवरणी)	अनुज्ञप्ति		कार्रवाई (दिनांक 06.12.2022 से बिहार आरामिल अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत)		अभियुक्ति
		प्राप्त	अप्राप्त	पूर्ण (दिनांक 28.12.2022 तक वस्तुस्थिति)	शेष	
सॉ मिल	158	8	150	150	0	11 आरामिलों को जब्त एवं सीलबन्द किया गया एवं शेष स्थल पर अनुपलब्ध पाये गये।
पिलिंग मिल	176	7	159	159	0	विनियर मिल की सूची में इकाई संख्या 47, 62, 128, 158, 164, 167–169, 172–173 की पुनरावृत्ति के फलस्वरूप 159 अवैध इकाई हीं अवस्थित हैं।
प्लाई वुड	51	3	48	34	0	बिहार काष्ठ आधारित उद्योग के लिये गठित राज्यस्तरीय समिति की दिनांक 26.09.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही के आलोक में 14 इकाईयों को मुक्त रखा गया।
कुल	385	18	357	343	0	

ज्ञापांक– 2323 दिनांक– 28.12.2022

प्रतिलिपि – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) बिहार पटना / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर / वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ समर्पित।

28/12/22

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
कार्यालय–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

बिहार काष्ठ आधारित उद्योग के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 26.09.2019 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

<u>उपस्थिति</u>

1.	**श्री एस0एस0 चौधरी,** भा0व0से0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार	–	अध्यक्ष
2.	**श्री अनिल कुमार प्रसाद,** भा0व0से0 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार	–	सदस्य
3.	निदेशक/अपर निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार सरकार	–	सदस्य (अनुपस्थित)
4.	**श्री ए0 के0 पाण्डेय,** भा0व0से0 प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम, पटना।	–	सदस्य
5.	वन संरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय (राँची), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	–	सदस्य (अनुपस्थित)
6.	**श्री सुरेन्द्र सिंह,** भा0व0से0 वन संरक्षक (मुख्यालय)	–	सदस्य सचिव

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं सदस्य सचिव से बैठक की कार्यवाही आरम्भ करने का अनुरोध किया गया। सदस्य सचिव द्वारा समिति को बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विनियमन पर निर्गत न्यायिक आदेश के आधार पर भारत सरकार द्वारा दिशा निदेश निर्गत किया गया है। इसके तहत राज्य स्तर पर समिति गठित कर इसके अनुमोदन से ही काष्ठ आधारित औद्योगिक इकाईयों के अनुज्ञप्ति का नवीकरण एवं अन्य संबंधित विषयों पर निर्णय लिया जाना है।

2. राज्य सरकार द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार की अध्यक्षता में राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विनियमन से संबंधित विषयों पर निर्णय लेने हेतु छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा विषय वस्तु की समीक्षा करने एवं राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना, अनुज्ञप्ति देने तथा अनुज्ञप्ति का नवीकरण एवं संबंधित अन्य विषयों पर निर्णय के लिये दिनांक 26.09.2019 को बैठक आयोजित कर निम्नांकित विषयों पर निर्णय लिये गये:–

1. **वर्ष 2016 से बिहार के काष्ठ आधारित उद्योगों की लंबित अनुज्ञप्ति के नवीकरण पर निर्णय :–**

इस संबंध में विचार–विमर्श के क्रम के यह बात सामने आई कि केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक–11.09.2017 के संकल्प के द्वारा दिशा–निर्देश में संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय समिति को शक्ति प्रदान किया गया कि समिति काष्ठ आधारित उद्योगों की अनुज्ञप्ति के नवीकरण की शक्ति संबंधित वन प्रभागीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकती है।

समिति को अवगत कराया गया कि राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों के लिये नया अधिनियम अभी तक नहीं बना है और यह सरकार के विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2016 से काष्ठ आधारित उद्योगों की अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं किए जाने से उद्यमियों में असमंजस की स्थति बनी हुई है तथा बगैर अनुज्ञप्ति के उद्योगों को चलाने में उन्हें कठिनाई हो रही है।

समिति द्वारा इस विषय पर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जिन काष्ठ आधारित उद्योगों को वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पूर्व में अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी थी, उनकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष 2016,2017,2018 तथा 2019 दिसम्बर तक के लिये विधिवत शुल्क प्राप्त कर किया जाये।

वर्ष 2020 से 2024 तक के पाँच वर्षों की अवधि के लिए मिलों के अनुज्ञप्ति का नवीकरण एक ही बार में किया जायेगा। इसके लिये अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन के साथ पाँच वर्षों की अवधि के लिए एक ही बार में 10,000/–रू0 अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में जमा करना होगा। यह आवेदन एवं नवीकरण शुल्क विधिवत माह दिसम्बर 2019 में आरा मिल मालिकों द्वारा जमा किया जायेगा एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जनवरी 2020 से विधिवत पाँच वर्षों के लिये अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी। बिहार सरकार के संकल्प सं0 2675, दिनांक–30.08.2010 से राज्य में आरा मिलों तथा विनियर मिलों की संख्या निर्धारित की गयी है। इस आलोक में अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलों की वरीयता सूची जिला स्तर पर तथा विनियर मिलों की वरीयता सूची राज्य स्तर पर निर्गत की गयी है। इन सूचियों पर केन्द्रीय प्राधिकृत समिति का अंतिम रूप से सहमति प्राप्त नही हो पाने के कारण सूची में अधिशेष अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलों के अनुज्ञप्ति का सशर्त्त नवीकरण किया जा रहा था। राज्य में काष्ठ की उपलब्धता तथा इसके आधार पर आरा मिलों/विनयर मिलों की संख्याओं का पुनःनिर्धारण करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसे ध्यान में रखकर अधिशेष अनुज्ञप्ति प्राप्त आरा मिलों के अनुज्ञप्ति का इस अवधि का नवीकरण पूर्व की भांति सशर्त्त ही औपबंधिक रूप से किया जाएगा।

इस निर्णय की सूचना वन प्रमण्डल पदाधिकारी स्तर से सभी अनुज्ञप्तिधारी आरा मिल मालिकों को उपलब्ध कराई जायेगी और उनसे आवेदन एवं शुल्क लेकर ससमय आरा मिल मालिकों की अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जायेगा।

2. **Plywood-Pasting Units को आरा मिल अधिनियम से बाहर रखे जाने के संबंध में:–**

सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय प्राधिकृत समिति, नई दिल्ली द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दिनांक–19.03.2019 को समर्पित प्रतिवेदन में बिहार राज्य के प्लाईउड/पेस्टिंग इकाईयों के लिये की गयी अनुशंसा निम्नवत है:–

> " 8 (IX) the plywood units should be divided into two categories (a) plywood units with facility/ machine for veneer/ sawn timber production and (b) plywood units without any facility / machines for veneer/sawn timber production (plywood pasting units). The plywood pasting units established prior to the order dated 30.10.2002 of the Hon'ble Supreme Court, after verifying the date of establishment, may be considered for grant of license. For the plywood units with facilities / machines for veneer / sawn timber production, based on the timber availability, appropriate number of permissible units may be decided ; and."

केन्द्रीय प्राधिकृत समिति से प्राप्त अनुशंसा को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–30.03.2012 को पारित आदेश में सहमति प्रदान की गयी। अतः ऐसी स्थिति में वैसे प्लाईउड एवं पेस्टिंग इकाईयाँ जिनके परिसर में आरा मिल या विनियर मिल नहीं है और वे केवल प्लाईउड निर्माण एवं पेस्टिंग का कार्य करते हैं और इसके लिये विनियर और चिरान लकड़ी आवश्यक मात्रा में बाहर से प्राप्त करते हैं, को अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की छूट प्रदान की गयी है। इन्हें तत्काल अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है और न ही इन्हें अनुज्ञप्ति दी जायेगी और न ही इनके पूर्व की अनुज्ञप्ति का नवीकरण किया जायेगा। काष्ठ आधारित उद्योगों के लिये बनाये जा रहे अधिनियम के आलोक में इसपर निर्णय लिया जायेगा। तत्काल इस श्रेणी के उद्योगों में अलग से 18'' तक ब्यास के आरा मशीन लगाने, तकनीकी उन्नयन करने, अथवा क्षमता विस्तार करने की छूट रहेगी। इस श्रेणी के उद्योग स्थानीय वन प्रमण्डल पदाधिकारी को मात्र सूचना देकर यह कार्य कर सकेंगे।

विनियर मिलों में भी निजी प्रयोग हेतु अलग से 18'' ब्यास के आरा मिल की मशीन लगाने के अतिरिक्त तकनीकि उन्नयन करने अथवा क्षमता विस्तार करने की छूट इस शर्त्त के साथ दिए जाने का निर्णय लिया गया कि वे अपने विनियर मिल में RAW MATERIAL के रूप में केवल उन काष्ठों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें बिहार काष्ठ एवं अन्य वन उत्पान (अभिवहन विनियमन) नियमावली में परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने से छूट प्रदान की गई है। इस संबंध में उन्हें इस आशय का एक शपथ पत्र संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करना होगा।

3. **विनियर मिलों एवं प्लाईवुड–पेस्टिंग उद्योगों के स्थान परिवर्तन के संबंध में:–**

इस विषय पर विभाग द्वारा दिनांक–21.09.2019 को विनियर मिलों एवं प्लाईवुड–पेस्टिंग उद्योगों के मालिकों के साथ हुई बैठक में मिल मालिकों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वन प्रमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में उनके मिलों का काष्ठ की उपलब्धता वाले स्थानों पर स्थानांतरण के लिये दिए गए आवेदनों पर निर्णय नहीं लिया

जाता है इस कारण उन्हें मिल के स्थानान्तरण करने में कठिनाई आती है और मिल का संचालन व्यय बढ़ जाता है।

विनियर मिलों तथा प्लाईवुड पेस्टींग उद्योगों की सूची राज्य स्तर पर तैयार कर प्रकाशित की गई है। मिल मालिकों की इन कठिनाईयों पर सम्यक रूप से विचार–विमर्श कर समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विनियर मिलों एवं प्लाईवुड–पेस्टिंग उद्योगों के मालिक वन प्रमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में स्थान परिवर्तन का आवेदन देते हैं तो उन्हें जांचोंपरांत 30 दिनों के अन्दर इसका निष्पादन करने की बाध्यता होगी। आवेदनकर्त्ता को आवेदन की एक अग्रिम प्रति आवेदित स्थानान्तरण स्थान के वन प्रमण्डल पदाधिकारी को पूर्व सूचना के रूप में भी भेजना होगा। यदि 30 दिनों के अन्दर आवेदन का निष्पादन नहीं होता है तो यह Deemed permission माना जायेगा। अगर विनियर मिलों एवं प्लाईवुड–पेस्टिंग उद्योगों का स्थान परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में नये स्थान पर उद्योग स्थापित करने के उपरांत उद्यमी द्वारा वहाँ वन प्रमण्डल पदाधिकारी को 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से उद्योग स्थापना की सूचना दी जायेगी और संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा इसे अपने अभिलेख में संधारित कर इसकी सूचना राज्य स्तरीय समिति को अगले 30 दिनों के अन्दर दी जायेगी। इस संबधं में ध्यान रखा जाएगा कि भारत सरकार द्वारा जारी काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशा–निर्देश, 2016 की कंडिका 7 में निम्नलिखित प्रावधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए:–

" 7(ii) (क) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा), निकटतम अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से दूरी के संबंध में, काष्ठ आधारित उद्योगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय / संबंधित राज्य के माननीय उच्च न्यायालय / केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति के राज्य विशिष्ट आदेश / अनुमोदन के अनुसार प्रचालन की अनुमति दी जाएगी;

या, सड़क के किनारे / रेलवे के किनारे / नहर के किनारे के वृक्षारोपणों को छोड़कर निकटत्म अधिसूचित वनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 10 किलोमीटर की हवाई दूरी से अधिक, जो भी कम हो।

(ख) काष्ठ आधारित उद्योग को निकटत्म अधिसूचित वन अथवा संरक्षित क्षेत्र की सीमा से हवाई दूरी के निरपेक्ष, एक औद्योगिक संपदा अथवा एक नगरीय क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है।"

अर्थात् अधिसूचित प्राकृतिक वन क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्री की सीमा से 10 किलोमीटर हवाई दूरी के बाहर ही काष्ट आधारित उद्योगों की स्थापना / स्थानान्तरण की अनुमति होगी।

4. आरा मिलों में तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त उपकरण लगाने के संबंध में:–

दिनांक 21.09.2019 की बैठक में मिल मालिकों द्वारा बताया गया कि आरा मिल मालिकों द्वारा अपने बैंड सॉ के साथ ट्रॉली लगाने हेतु आवेदन दिए जाते हैं जिस पर निर्णय नहीं लिया जाता है। इससे उन्हें कठिनाई हो रही है। समिति द्वारा इस विषय पर व्यापक चर्चा की गई।

पूर्व से एक ट्रॉली और एक बैंड सॉ को एक इकाई मानकर अनुज्ञप्ति दी जा रही है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा आरा मिलों की स्थापित क्षमता, वास्तविक प्रकाष्ट की आवश्यकता एवं राज्य में उनके संख्या का निर्धारण एक बैंड सॉ के साथ एक ट्रॉली की इकाई मानकर किया है। समिति द्वारा इसे उद्यमियों का जायज कठिनाई मानते हुए यह निर्णय लिया गया कि वैसे आरा मिल मालिक जिनके पास केवल एक बैंड सॉ है और इसमें वे एक ट्रॉली लगाना चाहते हैं तो वे इसकी सूचना मात्र अपने अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित कर ऐसा कर सकेंगे और अगले नवीकरण में आवेदन के साथ इन उपकरणों को शामिल कर उनके मिल की अनुज्ञप्ति का नवीकरण कियां जाएगा। आरा मिल मालिकों को एक इकाई में अधिकतम एक बैंड सॉ एवं एक ट्रॉली लगाने की अनुमति होगी।

उपर्युक्त निर्णयों से सरकार एवं सभी विभागीय कार्यालयों को अनुपालन के लिए अवगत कराने का निर्णय लेते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। इस निर्णय से आरा मिल / विनियर मिल / प्लाईवुड एवं पेस्टिंग इकाईयों के मालिकों को भी अवगत कराया जायेगा।

अनु०/-		ह० 28/9/19
निदेशक/अपर निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार सरकार।	**श्री ए०के० प्रसाद, भा०व०से०** अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार।	**श्री एस०एस० चौधरी, भा०व०से०** प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार।
ह० 28/09/19	अनु०/.	ह० 28/09/19
श्री सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से० वन संरक्षक (मुख्यालय) बिहार, पटना।	वन संरक्षक (केन्द्रीय) क्षेत्रीय कार्यालय (राँची), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।	**श्री ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०** प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वन विकास निगम, पटना।

ज्ञापांक– 2599 दिनांक– 01/10/2019

प्रतिलिपि:– सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, पटना/ सभी वन संरक्षक /सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ। अनुरोध है कि बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये सभी काष्ठ आधारित उद्योगों के मालिकों को जानकारी हेतु प्रचारित एवं प्रसारित कराया जाय।

ह० 28/9/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

ज्ञापांक-- 2599. दिनांक- 01/10/2019

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

28/9/19

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

MEMO.doc

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

काष्ठ आधारित उद्योगों के लिये

दैनिक जागरण
25-10-19

आम सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक मे बिहार राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकृत करने/इनके संचालन को विनियमित करने आदि विषयों पर निर्णय लिए जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार की अध्यक्षता मे एक छः सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है।

उक्त राज्य स्तरीय समिति की दिनांक–26.09.2019 को सम्पन्न बैठक मे निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है :–

1. काष्ठ आधारित उद्योगों (आरा मिल आदि) की अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु वर्ष 2016 से लंबित मामलों के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन उद्योगों को वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा पूर्व मे अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी थी उनकी अनुज्ञप्ति का नवीकरण वर्ष 2016, 2017, 2018 तथा 2019 दिसम्बर तक के लिए विधिवत् शुल्क प्राप्त कर किया जाय।
2. प्लाईवुड–पेस्टिंग की वैसी इकाईयों, जिनके परिसर में आरा मिल या विनियर मिल नहीं है और वे केवल प्लाईवुड निर्माण एवं पेस्टिंग का कार्य करती है जिसके लिए विनियर और चिरान लकड़ी बाहर से प्राप्त किया जाता है, को अनुज्ञप्ति प्राप्त किए जाने से छूट प्रदान की गई है।
3. विनियर मिलों मे निजी प्रयोग हेतु अलग से 18" व्यास के आरा मिल लगाने एवं तकनीकी उन्नयन करने अथवा क्षमता विस्तार करने की सशर्त छूट देने का निर्णय लिया गया है।
4. विनियर मिलों एवं प्लाईवुड–पेस्टिंग उद्योगों का स्थान परिवर्तन करने के संबंध मे निर्णय लिया गया कि ऐसी इकाईयों द्वारा स्थान परिवर्तन हेतु आवेदन दिये जाने पर वांछित जाँच के उपरांत 30 दिनों के भीतर इसका निष्पादन बाध्यकारी होगा। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन की एक प्रति नये स्थल से संबंधित वन प्रमंडल में भी दी जाएगी।
5. आरा मिलों में तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त उपकरण लगाने के संबंध में निर्णय लिया गया है कि वैसे आरा मिल जिनके पास केवल एक बैण्ड सॉ है एवं वे इसमें एक ट्रॉली लगाना चाहते है तो वे इसकी सूचना अपने अनुज्ञापन पदाधिकारी को देकर ऐसा कर सकेंगे।

समिति की कार्यवाही की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट– forest.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

PR. No. 09677(Forest) 2019-20

21

ANNEXURE – 4

MINUTES OF MEETING CONVENED UNDER THE CHARIMANSHIP OF THE CHIEF SECRETARY, BIHAR, ON 26.12.2022 TO MONITOR THE PROGRESS OF WORKS ON THE ISSUE AS RAISED IN O.A. NO. 399 OF 2022.

An Original Application (O.A.) has been filed before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, raising the issue that in Villages of motipur block of District Muzzafarpur hundreds of veener mills, saw mills and boiler based plywood factories are operational due to which pollution is caused.

The instant matter was heard on 08.07.2022 when the Hon'ble Tribunal was pleased to constitute a joint committee to undertake site visit and look into the grievances of the applicant and verify the factual position and file a factual and action taken report. Accordingly, the joint committee visited the site and found that the allegation made in the application were true and around 370 veener mills, saw mills and boiler based plywood factories were being operated in motipur block of District Muzzafarpur without obtaining a valid license and clearances from the authorities. A report, *inter-alia,* containing the findings of the inspection was filed before the Hon'ble Tribunal.

The Hon'ble Tribunal upon considering the report, vide its order dated 13.10.2022, impleaded (1) State of Bihar through Chief Secretary, Government of Bihar, (2) Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar, (3) Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Bihar (4) State PCB, and (5) Director General of Police, Bihar, and (6) District Magistrate, Muzaffarpur, as respondent's No. 1 to 6 and have sought their response.

The following members were present in the meeting:-

Sl. No.	Name
1.	The Chief Secretary, Bihar.
2.	Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Bihar.
3.	Principal Chief Conservator of Forests, Environment, Climate Change, and Wetland, Bihar, Patna.
4.	Inspector General of Police, Tirhut Range, Muzaffarpur.
5.	The District Magistrate, Muzaffarpur.
6.	Senior Superintendent of Police, Muzaffarpur.
7.	Divisional Forest Officer, Tirhut Forest Division, Muzzafarpur.
8.	Member-Secretary, Bihar State Pollution Control Board, Patna.

The Member-Secretary, Bihar State Pollution Control Board, Patna, informed that since the passing of the last order dated 13.10.2022, action has been taken against the illegal mills/units being operated in Motipur block of District Muzzafarpur and 362 such units have been sealed/uprooted/closed as reported by the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Government of Bihar, Patna.

The District Magistrate, Muzzafarpur, informed that illegal units have been sealed/Closed and it is being regularly monitored that such units does not come in operation again.

The Chief Secretary, Bihar, directed, the District Magistrate, Muzzafarpur to ensure that the units shall not come in operation without obtaining necessary license and clearances.

With above decision, the meeting ended with vote of thanks.

Chief Secretary 31.12.22
Government of Bihar